Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ कोटा में केडीए में सविंदाकर्मी 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एक अन्य आरोपी डिटेन।

जयपुर, दिनांक 05 जून, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), कोटा इकाई ने आज एक सफल ट्रैप कार्रवाई करते हुए **कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) के संविदाकर्मी कपिलराज को 15,000/— रुपये** की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि प्राधिकरण के कर्मचारी जुगल किशोर को पूछताछ हेतु डिटेन किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी कोटा को परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि श्रीनाथपुरम, कोटा स्थित उसके पैतृक आवास का उसके नाम नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए कोटा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा लगातार आपत्तियां लगाकर उसे परेशान किया जा रहा है। परिवादी ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसके वैध कार्य को करने की एवज में केडीए कर्मचारी जुगल किशोर एवं संविदाकर्मी कपिलराज द्वारा 50,000/— रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।

शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया गया। दिनांक 01.06.2026 एवं 02.06.2026 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपियों द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि हुई।

सत्यापन उपरांत आज एसीबी के **उप महानिरीक्षक श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी कोटा विजय स्वर्णकार** को पुलिस के नेतृत्वमें **उप अधीक्षक अनीस अहमद** द्वारा गठित ट्रैप दल द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी कपिलराज को केडीए कैंटीन में परिवादी से 15,000/— रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी जुगल किशोर को उसके कार्यालय से डिटेन कर अग्रिम पूछताछ की जा रही है।

एसीबी कि **महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला** के सुपरविजिन में आरोपियों के निवास एवं अन्य संभावित ठिकानों की तलाशी की कार्रवाई जारी है। प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।